कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/मा.शि.स/22473/मिड डे मील/2014–17/239 दिनांक :–07.06.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय

विषय :– मिड डे मील योजनान्तर्गत "अन्नपूर्णा दूध योजना" को लागू किए जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– आयुक्तालय, मिड डे मील योजना, जयपुर के पत्रांक : एफ (7)प्रा.शि./एमडीएम/आरसीडीएफ/2017–18/175 जयपुर, दिनांक : 22.05.2018 तथा एफ 5(7) प्रा.शि./एमडीएम/अन्नपूर्णा दूध योजना 2018–19/321 जयपुर, दिनांक : 05.06.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा मिड डे मील योजनान्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों एवं संस्थाओं के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहार उपलब्ध करवाने बाबत विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त शासकीय निर्देशों की सम्पूर्ण क्रियान्विति हेतु प्रासंगिक दिशा–निर्देश परिशिष्ट "1" पत्र के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु ध्यातव्य है :–

i. "अन्नपूर्णा दूध योजना" अन्तर्गत मिड डे मील योजना से पूर्व से ही लाभान्वित समस्त राजकीय विद्यालयों एवं संस्थाओं में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को सप्ताह में तीन दिन उच्च गुणवत्ता पूर्ण, गर्म ताजा दूध दिनांक : **02.07.2018** से उपलब्ध करवाया जाना है।

ii. इस सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र दिनांक : 05.06.2018 के निर्देशानुसार स्पष्ट किया जाता है कि मिड डे मील योजना से लाभान्वित समस्त राजकीय विद्यालयों एवं संस्थाओं के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी "अन्नपूर्णा दूध योजना" के लिए पात्र होंगे।

iii. संलग्न परिशिष्ट "1" के अनुसार आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित करते हुए अन्नपूर्णा दूध योजना" के तहत उच्च गुणवत्ता पूर्ण, गर्म ताजा दूध दिनांक : 02.07.2018 से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

iv. इस में योजना के नॉडल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा के साथ निर्धारित समय चक्र अनुरूप समन्वय कर दिनांक : 02.07.2018 को योजना का शुभारम्भ जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं विद्यालय स्तर पर करवाया जाना सुनिश्चित करावें। इस हेतु निर्धारित बर्तन एवं अन्य सामग्री निर्धारित प्रक्रिया एवं समय पर क्रय कर ली जावें तथा आवश्यक व्यवस्था/प्रबन्ध कर लिए जावे।

v. योजना के शुभारम्भ के दिन 02 जुलाई 2018 को प्रत्येक विद्यालय में विशेष अध्यापक–अभिभावक बैठक (PTM) का आयोजन किया जाए।

vi. दिनांक 02 जुलाई, 2018 से 09 जुलाई, 2018 तक प्रत्येक विद्यालय में " अन्नपूर्णा दूध योजना सप्ताह " का आयोजन किया जावे।

vii. संलग्न प्रेषित प्रासंगिक पत्र दिनांक 22.05.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना समस्त सम्बन्धितों द्वारा सुनिश्चित की जाए।

संलग्न :– यथोपरि।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. आयुक्त, आयुक्तालय, मिड डे मील योजना, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, भवानी सिंह मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302001
02. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ जिलों में भ्रमण कर प्रबोधन कर लेवें कि आवश्यक बैठके समय पर हो गई है, दूध एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था/क्रय हो गई है तथा निर्धारित दिनांक को शुभारम्भ कार्यक्रम हेतु पर्याप्त तैयारी हो गई है।
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को अन्नपूर्णा दूध योजना के जिला नॉडल अधिकारी के रूप में निर्देशित सभी कार्य समय रहते समन्वय कर पूर्ण करने हेतु।
04. समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों का पूर्व में निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करली जावे तथा दिनांक 02.07.2018 को प्रत्येक विद्यालय, ग्राम एवं पंचायत पर उक्त कार्यक्रम का शुभारम्भ समारोहपूर्वक किया जावें।
05. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव समस्त संस्था प्रधानों के ई–मेल पते पर भिजवाने हेतु।
06. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

(233)

परिशिष्ट "1"

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

मिड डे मील योजनान्तर्गत "अन्नपूर्णा दूध योजना" के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

1. **प्रस्तावना**

1.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गयी बजट घोषणा अनुसार मिड डे मील योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो के विधार्थियों को सप्ताह में **तीन बार दूध पोषाहार** उपलब्ध करवाया जाना है। इस योजना का संचालन प्राथमिकता से पंचायत क्षेत्र के **पंजीकृत महिला दुग्ध समितियों** के माध्यम से किया जाना है।

1.2 मिड डे मील योजनान्तर्गत **"अन्नपूर्णा दूध योजना"** को प्रारम्भ करने का प्रमुख उद्देश्य राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के नामांकन, उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना एवं पोषण स्तर में वृद्धि व आवश्यक मेक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएन्ट्स उपलब्ध करवाया जाना है।

2. **पात्रता**

मिड डे मील योजना से वर्तमान में लाभान्वित समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयो, मदरसों, स्पेशल ट्रेनिंग सेन्टर्स में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र/छात्राओ को सप्ताह में तीन दिन उच्च गुणवत्ता पूर्ण, गर्म ताजा दूध उपलब्ध करवाया जायेगा।

3. **योजनान्तर्गत दूध की मात्रा**

कक्षा 1 से 8 तक के छात्र/ छात्राओ को दूध निम्न मात्रा के अनुसार उपलब्ध करवाया जायेगा:–

क्रम संख्या	कक्षा स्तर	दूध की मात्रा (प्रति छात्र प्रति दिन)
1	प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	150 ml
2	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)	200 ml

D:\D.K.Mathur\MILK\CMO\Annpurna Dudh Yojna_Guideline.docx

सम्बंधित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा दूध वितरण हेतु विद्यालयवार दिवसों का निर्धारण **(सोमवार, बुधवार , शुक्रवार** अथवा **मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार)** इस प्रकार से निर्धारित किया जावेगा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में विद्यालयों में वितरित किये जाने वाले दूध की दैनिक मांग लगभग समान रहे।

4.4 प्रत्येक विद्यालय में छात्र/छात्राओं को दूध **प्रार्थना सभा** के तुरन्त पश्चात् उपलब्ध करवाया जाना होगा।

4.5 मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को उच्च गुणवत्ता पूर्ण, गर्म ताजा दूध उपलब्ध कराये जाने के लिए **SMC/ NGO /CSO /AMSS** उत्तरदायी होंगे।

4.6 योजनान्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में **"पोषाहार मेन्यु"** को विद्यालय के मुख्य स्थान पर पेंट से अंकित करवाए जाने के निर्देश दिए हुए है। पोषाहार मेन्यु के अंकन के स्थान के साथ ही दूध उपलब्ध करवाए जाने वाले दिनों का विवरण भी आवश्यक रूप से अंकित किया जायेगा।

4.7 प्रत्येक विद्यालय में निम्न निर्धारित **"अधिकतम"** दरों के अनुसार उच्च गुणवत्ता पूर्ण ताजा दूध का क्रय किया जावेगा :–

क्रम संख्या	कक्षा	दूध क्रय की अधिकतम राशि(रुपये) प्रति छात्र प्रति दिन	
		ग्रामीण@ 35 रु. प्रति लीटर	शहरी@ 40 रु. प्रति लीटर
1	1 से 5	5.25	6
2	6 से 8	7.00	8

उक्त राशि का निर्धारण राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन से प्राप्त वर्तमान एवं गत एक वर्ष की प्रत्येक जिले में दूध क्रय की औसत दरो के आधार पर (शहरी क्षेत्र 40 रू. व ग्रामीण क्षेत्र में 35 रु. प्रति लीटर की दर) किया गया है। मौसम के अनुसार दूध क्रय की दरें परिवर्तित होती रहती है, अतः योजनान्तर्गत दूध क्रय की वास्तविक दर (अधिकतम राशि के अधीन) के अनुसार ही राशि का भुगतान किया जावेगा।

उक्त राशि का पुर्नर्निधारण समय–समय पर आवश्यकतानुसार निम्नानुसार गठित कमेटी की अभिशंषा पर वित्त विभाग की सहमति से किया जावेगा :–

1. आयुक्त, मिड डे मील – **अध्यक्ष**
2. अति. आयुक्त (वित्त) – **सदस्य सचिव**
3. वित्त विभाग का प्रतिनिधि– जो उपशासन सचिव स्तर से नीचे का न हो
4. जनरल मैनेजर (मार्केटिंग), राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन – सदस्य

6.2 **गैस व्यवस्था** :– वर्तमान में मिड डे मील योजनान्तर्गत कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट में से ईधन हेतु गैस व्यवस्था हेतु राशि का भुगतान किया जाता है, उक्त मद में ही दूध गर्म करने हेतु ईधन व्यवस्था की जावेगी।

6.3 **कुक कम हेल्पर** :– मिड डे मील योजनान्तर्गत जिन विद्यालयों में पोषाहार विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, उन विद्यालयों में कुक कम हेल्पर्स द्वारा पोषाहार पकाने के साथ साथ दूध गर्म करने एवं वितरण का कार्य भी किया जावेगा।

7 **विद्यालय प्रबंधन समिति/केन्द्रीकृत रसोई घर/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के माध्यम से पोषाहार वितरित किये जाने वाले विद्यालयों में दूध की व्यवस्था**

7.1 योजनान्तर्गत वर्तमान में निम्न तीन एजेंसियों द्वारा पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है :–

i. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)
ii. केन्द्रीयकृत रसोईघर (NGO/CSO)
iii. अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति (AMSS)

7.2 विद्यालय जिनमें विद्यालय प्रबन्धन समिति की देखरेख में मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है उन सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति उच्च गुणवत्तापूर्ण गर्म ताजा दूध उपलब्ध कराये जाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करेगी।

7.3 जिन जिलों में केन्द्रीयकृत रसोईघर के माध्यम से पोषाहार वितरण कार्य किया जा रहा है, उन जिलों के सबंधित विद्यालयों में केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालक (NGO/CSO) उच्च गुणवत्तापूर्ण गर्म ताजा दूध उपलब्ध कराये जाने के लिए उत्तरदायी होगें।

7.4 विद्यालय जिनमें अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा पोषाहार वितरण का कार्य किया जा रहा है उन विद्यालयों में सम्बन्धित अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति अन्नपूर्णा दूध योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. **जन सहभागिता** :–" **अन्नपूर्णा दूध योजना**" का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाकर समाज के विभिन्न वर्ग, दानदाता एवं भामाशाहों को योजना से जोडा जावे। योजनान्तर्गत समाज के विभिन्न वर्गों, भामाशाहों एवं दानदाताओं द्वारा अपने परिवार में विशेष अवसरों जैसे– विशेष धार्मिक पर्व, शादी, जन्म–दिन, संतान प्राप्ति, मनोकामना पूर्ण होने, धार्मिक यात्रा करने, बच्चों को शिक्षा में सफलता, बच्चों को नौकरी मिलने, शादी की सालगिरह या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष प्रगति होने पर स्वेच्छा से विद्यालय में दूध वितरित किया जा सकता है।

11. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

i. "अन्नपूर्णा दूध योजना" के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को दूध उबालकर ही वितरीत किया जावे।

ii. यह सुनिश्चित किया जावे कि दूध वितरण हेतु आवश्यक बर्तन (भगोना, टंकी, गिलास, आदि) धुले हुए एवं पूर्णतया स्वच्छ हो।

iii. दूध को छानकर ही उपयोग में लिया जावे।

iv. क्रय किया गया दूध छात्रो को पिलाये जाने योग्य नहीं हो, दूध उबालने पर खराब/फटने की स्थिति में इसकी सूचना तुरन्त संबंधित दूध एजेंसी को दी जावे । उक्त दिवस को क्रय किये गये दूध का भुगतान नही किया जावे एवं अगले दिन दूध वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

v. दूध वितरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कियां जावे कि उसका तापमान कम हो ताकि दूध के छात्रों के शरीर पर गिरने के कारण किसी प्रकार की हानि नहीं हों।

vi. दूध वितरित करते समय किसी अनहोनी घटना , छात्र के जलने अथवा दूध पीने के पश्चात छात्र की तबीयत बिगडने की स्थिति में तुरन्त छात्र को निकटवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाकर उचित उपचार करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। विद्यालय में फर्स्ट एड की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे।

vii. जिन विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा दूध वितरण की व्यवस्था की जा रही है उन विद्यालयों में योजना के बाधित होने या अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यालयों के मिड डे मील प्रभारी/शाला प्रधान एवं पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी उत्तदायी होंगे। उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

viii. जिन विद्यालयों में एनजीओ/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा दूध वितरण की व्यवस्था की जावेगी, उन विद्यालयों में कार्यक्रम के बाधित होने या अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित एनजीओ/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति से नियमानुसार वसूली की जावेगी । वसूली के नियम पृथक से जारी किये जायेंगे।

ix. पोषाहार कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत स्तर, ब्लाक स्तर ,एवं जिला स्तर के अधिकारियों के लिए मासिक रूप से निरीक्षण के नियम निर्धारित किये हुये है, इन के अनुरूप ही अन्नपूर्णा दूध योजना का निरीक्षण भी सुनिश्चित किया जावे।

आयुक्त 21/5/18
मिड डे मील

D:\D.K.Mathur\MILK\CMO\Annpurna Dudh Yojna_Guideline.docx